

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 259]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 3 जून 2020 — ज्येष्ठ 13, शक 1942

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 27 मई 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-19/2015/XII.— खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 9ख, धारा 15 की उप-धारा (4) एवं धारा 15क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

- नियम 22 में, उप-नियम (10) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—
“(11) उच्च प्राथमिकता एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल आपूर्ति के क्षेत्रों में अधोसंरचना/निर्माण कार्यों को छोड़कर, शेष सभी प्रकार की अधोसंरचना/निर्माण कार्यों पर व्यय, न्यास निधि में प्राप्त राशि के 20% तक ही किया जायेगा।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., सचिव.

अटल नगर, दिनांक 27 मई 2020

क्रमांक एफ 7-19/2015/XII.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19/2015/XII, दिनांक 27 मई, 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., सचिव.

Atal Nagar, the 27th May 2020

NOTIFICATION

No. F 7-19/2015/XII.— In exercise of the powers conferred by Section 9B, sub-section (4) of Section 15 and Section 15A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh District Mineral Foundation Trust Rules, 2015, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In rule 22, in sub-rule (10), the following shall be added, namely :-

“(11) The expenditure on all types of infrastructure/construction works under high priority and other priority areas except Infrastructure/Construction works in the areas of education, health and drinking water supply, shall also be made upto 20% of the amount received in trust fund.”

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANBALAGAN P., Secretary.